

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :— 6/ज०स०वि०-105-09/10- 1167 /राँची, दिनांक 20.08.2013

कार्यालय आदेश

विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 24.08.2012 को सम्पन्न बैठक में दिये निदेश के आलोक में विभाग अन्तर्गत रु० 10.00 लाख से अधिक लागत की सभी निविदाओं का आमंत्रण एवं निष्पादन e-tendering के माध्यम से करने का निदेश दिया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभिः)
अधिकारी

पत्रांक :— 6/ज०स०वि०-105-09/10- 1167 /राँची, दिनांक 20.08.2013
प्रतिलिपि :—

1. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची के सचिव
2. प्रधान सचिव, सूचना एवं प्राधौगिकी विभाग सह सी०ई०ओ०, जैप आई०टी० के सचिव
3. विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची के निजी सहायक
4. अभियंता प्रमुख— I एवं II, जल संसाधन विभाग, राँची के निजी सहायक
5. राज्य सूचना पदाधिकारी, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, झारखण्ड राज्य केन्द्र, इंजिनियर्स हॉस्टल सं०-२, धुर्वा, गोलचक्कर के समीप, राँची
6. सभी मुख्य अभियंता (याँत्रिक तथा लघु सिंचाई सहित) जल संसाधन विभाग।
कृपया इसकी सूचना अपने अधीनस्थ अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को अपने स्तर से दे दी जाय।
7. संयुक्त सचिव (अभिः) / संयुक्त सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, राँची
8. अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-१ -सह- नोडल पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, राँची
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभिः)
अधिकारी

Copy to Web Manager for uploading the order on dept.
website.

३८८
२५.८.२०१३